न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

ोठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

ाद सं0 : 333 सन 2018

नवान :–

1. श्याम सुन्दर पुत्र हुनाराम उर्फ हुणताराम जाति छीपा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. हुनाराम उर्फ हुणताराम पुत्र हरभज उर्फ हरभान जाति छीपा निवासी बडबिराना नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11/9/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा बडबिराना बारानी के खाता संख्या 388/360 के खसरा न0 168/4 की 0.0120हैक , खसरा न0 168/6 की 2.3900हैक , खसरा न0 339/1 की 1.6310हैक कुल 4.0330हैक तथा रोही मोजा जोगीआसन न0 3 के खाता संख्या 7/5 के खसरा न0 89/1 की 7.7140हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरभज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्र वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। उभयपक्षों को सुना गया

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों समर्थन में पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिसना बारानी के खाता संख्या 388/360 के खसरा न0 168/4 की 0.0120हैक , खसरा न0 168/6 की 2.3900हैक , खसरा न0 339/1 की 1.6310हैक कुल 4.0330हैक तथा रोही मोजा जोगीआसन न0 3 के खाता संख्या 7/5 के खसरा न0 89/1 की 7.7140हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है का वादी खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– पांच हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/9/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

Sanjay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official